कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक................./पैरामेडि./एम.सी./2017 रीवा, दिनांक ....
...

आवेदन की अंतिम तिथि : **15.09.2017**

काउन्सिलिंग तिथि : **28.09.2017**

प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति

स्वशासी श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में वर्ष 2017–18 के लिए निम्नलिखित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन उपयुक्त उम्मीदवारों के आवेदन–पत्र निर्धारित प्रपत्र पर आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15.09.2017 तथा पाठ्यक्रम चयन हेतु काउंसिलिंग दिनांक 28.09.2017 को प्रातः 11:00 बजे से एनाटामी लेक्चर हॉल, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में होगी।

क्र.	पाठ्यक्रम एवं सीट	प्रशिक्षण अवधि	कुल सीट	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव
				50:	16:	20:	14:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Medical Lab. Technician (Dip.)	02 वर्ष	30	15 (05म.)	05 (01म.)	06 (02म.)	04 (01म.)
2.	Ortho Technician (Certificate)	01 वर्ष	20	10 (03म.)	03 (01म.)	04 (01म.)	03 (01म.)
3.	O.T. Technician (Certificate)	01 वर्ष	10	05 (01म.)	02 (01म.)	02 (01म.)	01
4.	X-ray Radiographar Technician (Dip.)	02 वर्ष	30	15 (05म.)	05 (01म.)	06 (02म.)	04 (01म.)
5.	Ophthalmic Assistant (Dip.)	02 वर्ष	20	10 (03म.)	03 (01म.)	04 (01म.)	03 (01म.)

शर्तें :–

1. आवेदन–पत्र के साथ रूपये 300.00 का बैंक ड्राफ्ट जो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय समिति (पैरामेडिकल) रीवा के नाम देय हो जमा करना होगा। यह राशि किसी भी हालत में वापस नहीं होगी।
2. आवेदक की आयु 31 दिसम्बर 2017 को 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
3. शैक्षणिक योग्यता छात्र को 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्ड्री भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान विषय के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40: एवं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिये 33: अंक होना अनिवार्य होगा।
4. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु महिलाओं एवं निःशक्तजनों को आरक्षण का लाभ म.प्र. शासन के नियमानुसार दिनांक 05 जुलाई 2017 को प्रकाशित म.प्र. राजपत्र (असाधारण) के अनुसार देय होगा।

5. शासन के नियमानुसार अजजा/अजा/अपिव को आरक्षण का लाभ दिया जावेगा। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को काउंसिलिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. आवेदक को म.प्र. का मूल निवासी होना चाहिए। काउंसिलिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. उम्मीदवारों को काउंसिलिंग के समय सीट आवंटित होते ही रू.5000/– (पांच हजार) का बैंक ड्राफ्ट जो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय समिति (पैरामेडिकल) रीवा के नाम देय हो जमा करना अनिवार्य होगा। ड्राफ्ट के अभाव में आवंटित शीट निरस्त मानी जावेगी तथा अगले उम्मीदवार को अवसर प्रदान किया जावेगा। शेष फीस की राशि 15 दिवस के अंदर ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी नहीं तो उनका प्रवेश निरस्त माना जावेगा और जमा की गयी राशि रू.5000/– (पांच हजार) वापस नहीं की जावेगी।

8.

प्रशिक्षण शुल्क का विवरण –

पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
2 वर्षीय डिप्लोमा	23000/– (रू.18000 शैक्षणिक शुल्क + रू.5000 सुरक्षा निधि	18000.00
1 वर्षीय प्रमाण–पत्र	18000/– (रू.13000 शैक्षणिक शुल्क + रू.5000 सुरक्षा निधि	–

9. काउंसिलिंग के लिए दैनिक भत्ता तथा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10. सभी पाठ्यक्रमों के लिए एक ही आवेदन–पत्र, जिसका कि प्रारूप दिया गया है, देय होगा। पाठ्यक्रम का आवंटन आवेदक के हायर सेकण्ड्री (10+2) के मैरिट के अनुसार वर्ग में उपलब्ध सीटों पर काउंसिलिंग के द्वारा किया जावेगा। काउंसिलिंग की प्रक्रिया अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार से प्रारंभ की जावेगी एवं शीट भरने तक जारी रहेगी। यदि फिर भी सीटे रिक्त रह जाती हैं, तो यह सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों से भरी जायेंगी। अनुसूचित जाति के पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार से भरी जावेगी। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटें अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से भरी जावेगी। **कांउसिलिंग की तारीख 28.09.2017** तथा समय प्रातः 11:00 बजे से नियत है इसकी सूचना अलग से नहीं दी जावेगी। काउंसिलिंग का मतलब प्रवेश कदापि नहीं होगा। प्रवेश विभिन्न वर्गों में उपलब्ध शीटों के अनुसार मैरिट के आधार पर होग।

11. स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के अन्तर्गत पैरामेडिकल पाठ्यक्रम नियमित एवं पूर्णकालिक है। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययन करने की पात्रता नहीं होगी। इस आशय का शपथ–पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12. विभागीय कर्मचारियों के लिए शासन के नियमानुसार 10ः सीटें आरक्षित रहेंगी। विभागीय कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण–पत्र केवल संचालक स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल/संबंतिध संस्था के प्रमुख का ही मान्य होगा। विभागीय कर्मचारी न होने पर उन्हें आरक्षित सीटें संबंधित वर्ग के उम्मीदवारों से भरी जायेंगी। जिस पाठ्यक्रम में पांच से कम छात्र प्रवेश लेते हैं, ऐसे पाठ्यक्रमों को संचालित कराना संभव नहीं होगा। ऐसे छात्र अपनी जमा शुल्क वापस ले सकते हैं अथवा अन्य पाठ्यक्रम के रिक्त सीट में मेरिट के आधार पर प्रवेश ले सकते हैं।

13. विज्ञप्ति सीटों की संख्या परिस्थितियों के अनुसार बढ़ाई/घटाई जा सकती है।

14. न्यायालयीन परिवादों के निराकरण का कार्यक्षेत्र जिला न्यायालय रीवा होगा।

15. प्रवेश के समय स्थानांतरण एवं माइग्रेशन प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। मूल स्थानांतरण तथा माइग्रेशन प्रमाण–पत्र के अभाव में प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा तथा काउन्सिलिंग के समय जमा राशि रू.5000/– (पांच हजार) मात्र वापिस नहीं की जावेगी। छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क, नामांकन शुल्क एवं संस्था द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क रू.3,700/–(सैंतीस सौ) मात्र पृथक से देय होगा।

16. प्रवेश के समय अभिभावक के आय प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जो तहसीलदार द्वारा जारी की गई हो जमा करना अनिवार्य होगा।

टीप :– आवेदन–पत्र का प्रारूप संलग्न है।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
स्वशासी श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय,
रीवा (म.प्र.)

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हेतु आवेदन का प्रारूप सत्र 2017–18

नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा करें

प्रति,

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
स्वशासी श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय,
रीवा (म.प्र.)

1. श्रेणी –(अजा / अजजा / अपिव / अनारक्षित..
2. आवेदक का नाम .... आधार कार्ड नं ....
3. पिता / पति का नाम ....आधार कार्ड नं ....
4. लिंग (पु. / म.) ....
5. आयु .... वर्ष .... माह .... दिन ....
   जन्मतिथि अंकों में .... (शब्दों में) ....
6. वर्तमान निवास का पता पिन कोड सहित ....
   ....
7. स्थाई निवास का पूर्ण पता पिन कोड सहित ....
   ....
8. आवदेक का मो.नम्बर.............................ई–मेल.आई.डी..
9. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता हायर सेकण्ड्री (10+2)जीव विज्ञान के साथ – कुल प्राप्तांक . ... पूर्णांक ......अंकों का प्रतिशत .... बोर्ड का नाम .... पी.सी.बी.अंक .... उत्तीर्ण होने का वर्ष ....

नोट :– 1. आवेदन–पत्रों के साथ प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति संलग्न करना एवं सभी मूल प्रमाण–पत्रों को काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा एक फोटो प्रति काउंसिलिंग के समय जमा करना होगा।

2 सभी आवेदकों को काउंसिलिंग के समय तीन नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

<u>घोषणा–पत्र</u>

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन–पत्र में दी गयी समस्त जानकारियां एवं संलग्न दस्तावेज पूर्णतः सत्य है। सत्यापन पश्चात् दी गई जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाए जाने पर मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही इस संस्था में प्रवेश के पश्चात् अन्य किसी संस्था/विश्वविद्यालय में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लूंगा और ना ही अध्ययन करूंगा और ना ही किसी अन्य संस्था से शासन द्वारा किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त करूंगा। यदि मेरे द्वारा ऐसा किया जाता है, तो मेरे खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है एवं प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा, जिसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर